

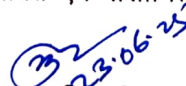
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०— से

जिला — गिरिडीह, अंचल — धनवार, विविध वाद सं०— 29/सन-2025— 26

केस का प्रकार — विविध वाद

आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.06.2025	<u>—:आदेश: —</u> यह विविध वाद अभिलेख सं०— 29/2025— 26 आवेदक प्रिंस कुमार, पिता— प्रदीप मोदी, साकिन— धनवार, थाना— धनवार, जिला— गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०— 07, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 07, श्री रामलखन मिस्त्री ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा धनवार, थाना नं०— 214, खाता सं०— 211 रैयती खाते की है। संलग्न लगान रसीद के अनुसार पंजी— II के भाग सं०— 03, पेज नं०— 391 पर देवकी देवी, पति— उमेश प्रसाद वर्णवाल, साकिन— धनवार के नाम से जमाबंदी दर्ज है, जिसका खाता सं०— 211, प्लॉट सं०— 175 एवं अन्य, रकवा— 15.7 डी० है। परन्तु हल्का कार्यालय में उपलब्ध भौतिक पंजी— II से मिलान करने पर क्षतिग्रस्त पाया। उन्होंने आगे प्रतिवेदित किया है कि केवाला सं०— 2246, दिनांक— 14.04.1986 एवं लगान रसीद तथा दखल—कब्जा के आधार पर उक्त भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 07, श्री रामलखन मिस्त्री/अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी —सह— दखल कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार 15.7 डी० भूमि पर जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशान दखलकार है। जमाबंदी रैयत के जीवित वारिशानों ने शपथ पत्र सं०— 123, दिनांक— 18.06.2025 के माध्यम से शपथपूर्वक बयान दिया है कि उपरोक्त जमाबंदी के 15.7 डी० भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में भी कोई आपत्ति नहीं करेंगे। वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी— II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०— 07, श्री रामलखन मिस्त्री/अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी—सह— दखल—कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद तथा शपथ पत्र सं०— 123, दिनांक— 18.06.2025 और आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा— धनवार/214 के ऑनलाईन पंजी—II में खाता सं०— 211, प्लॉट नं०— 175 एवं अन्य, रकवा— 15.7 डी० भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	